न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र:–26/2019

दायर दिनांक: 09.04.2019

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. नंदकिशोर आत्मज हीरालाल जाति माली निवासी नयागांव नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र – अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री भारत भूषण गौतम।

निर्णय दिनांक 28.10.2020

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नयागांव पटवार मण्डल तलवास तहसील नैनवां की जमाबंदी संख्या 63 सम्वत 2073–76 तक की कृषि भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 4 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 28 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 35 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 75 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 76 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 77 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 78 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 9/112 है। वर्तमान में राजस्व अभिलेख में हरचन्दा, हरलाल, रामकरण, छोटू, रामकिशोर पिसरान हीरा के नाम 45/112 दर्ज हैं। वर्णित भूमि प्रार्थी के पूर्वज पिता श्री हीरालाल आत्मज गणपत जाति माली निवासी नयागांव के खाते में थी। हीरालाल की मृत्यु के पश्चात इन्तकाल संख्या 30 दिनांक 12.06.1989 के जर्ये फौती इन्तकाल के जर्ये उनके वारिसान हरचन्दा, हरलाल, रामकरण, छोटू, नंदकिशोर और राजू के देहान्त हो जाने के कारण उसके वारिस पत्नी छीताबाई, पुत्र गणेश, पुत्री फूली बाई तथा स्वर्गीय हीरालाल की दो पुत्रियों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। लिपिकीय त्रुटि से सहवन वश नंदकिशोर के बजाय रामकिशोर पुत्र होना अंकित कर नामान्तरकरण खुल जाने के कारण राजस्व अभिलेख में रामकिशोर नाम दर्ज हो गया है। यह प्रार्थना पत्र का कारण है।

प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 4 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 28 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 35 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 75 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 76 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 77 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 78 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा स्थित ग्राम नयागांव पटवार मण्डल तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामकिशोर के स्थान पर नंदकिशोर दुरूस्त फरमाया जावे तथा रामकिशोर के नाम की प्रविष्टि को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नकल शुद्धि प्रतिलिपि, नकल शुद्धि प्रतिलिपि पटवारी नामान्तरकरण संख्या 3, प्रमाण पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत तलवास, मतदाता फोटो पहचान–पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आदि पेश [illegible] ज हीरालाल जाति माली निवासी

तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी नंद[illegible] कि ग्राम नयागांव की जमाबंदी नयागांव के नाम शुद्धिकरण के संबंध में [illegible] रहा है। ग्राम वासियों के संम्वत 2073–76 के खाता संख्या 63 में रामकिशोर आत्मज [illegible] है। अतः रामकिशोर के [illegible] मुताबिक रामकिशोर व नंदकिशोर दोनों एक ही व्यक्ति के [illegible] नंदकिशोर शुद्ध किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट शुद्विकरण बाबत का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई, अतः न्यायालय प्रार्थी के नाम रामकिशोर के स्थान पर नंदकिशोर शुद्व किया जाना न्यायोचित समझता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः ग्राम नयागांव पटवार मण्डल तलवास तहसील नैनवां की जमाबंदी संख्या 63 सम्वत 2073–76 की खसरा संख्या 3 रकबा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 4 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 28 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 35 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 75 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 76 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 77 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 78 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामकिशोर के स्थान पर नंदकिशोर दुरूस्त करने तथा रामकिशोर के नाम की प्रविष्टि को निरस्त करने हेतु तहसीलदार नैनवा को आदेशित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 28.10.2020 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner